NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 104 /NCRES/19

Date : 7.4.2019

डा0 एम. राघवैय्या जी
महामंत्री–एन.एफ.आई.आर.
नई दिल्ली

विषय :– मार्च 2009 एवं 31.05.2012 के मध्य रिटायर हुये रेल कर्मचारियों का RELHS स्कीम न ज्वाइन कर पाना।

संदर्भ :– (i) रेलवे बोर्ड ED हेल्थ का पत्र संख्या 2011/H/28/1/RELHS/कोर्ट केस दिनांक 31.05.2012
(ii) NCRES PNM मद संख्या 17/05/2018

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड ED हेल्थ के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 31.05.2012 के अनुसार मार्च 2009 के पूर्व रिटायर हुये रेल कर्मचारियों के लिये RELHS-97 स्कीम हमेशा के लिये खोल दी गयी थी एवं 31.05.2012 के बाद रिटायर हुये लोगो के लिये इन स्कीम को अनिवार्य कर दिया गया था। इसी पत्र में मार्च 2009 से 31.05.2012 के मध्य रिटायर हुये लोगो के लिये स्कीम एक वर्ष के लिये खोली गयी थी।

NCRES को अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में मार्च 2009 से 31.05.2012 के मध्य रिटायर हुये सैकड़ों ऐसे लोग है जो अज्ञानतावश एक वर्ष की समय सीमा में स्कीम नही ज्वाइन कर सके थे एवं अब स्कीम को ज्वाइन करना चाहते है परन्तु उन्हे ज्वाइन नही करने दिया जा रहा है। ''संघ'' ने इस मुद्दे को महाप्रबन्धक स्तर पर पी.एन.एम. में उठाया था परन्तु रेलवे बोर्ड स्तर पर कार्यवाही को लेकर मामला पिछले 2 वर्षो से लम्बित है।

अतः NCRES का अनुरोध है कि NFIR रेलवे बोर्ड स्तर पर वार्ता कर इस मामले को हल कराये ताकि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे सहित पूरी भारतीय रेल में मार्च 2009 से 31.05.2012 के मध्य रिटायर लोग जो RELHS-97 स्कीम नही ज्वाइन कर सके हो उनके लिये RELHS-97 स्कीम को हमेशा के लिये खोल दी जाय।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री